380

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी-3227/2018/विदिशा/भू.रा.

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला-बिदिशा

श्री ........ द्वारा आज दि. 26.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.6.18 नियत।

26.5.18

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1 मुन्नीलाल पुत्र श्री **जयराम** कुशवाह
2 धन्नालाल पुत्र श्री **जयराम** कुशवाह
निवासीगण – **मदऊखेडी** तहसील कुरवाई जिला – **बिदिशा** (म.प्र.)

........... आवेदकगण

**विरूद्ध**

1 फूल सिंह पुत्र श्री **बालाराम** कुशवाह
2 भज्जू पुत्र श्री **बालाराम** कुशवाह
निवासीगण – **मदऊखेडी** तहसील कुरवाई जिला – **बिदिशा** (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

**न्यायालय नायब तहसीलदार कुरवाई/पठारी प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2017-18 में राजस्व निरीक्षक वृत-1 कुरवाई की ओर प्रेषित पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2018 एवं पंचनामा दिनांक 17.03.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

25/05/18

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1. यहकि, ग्राम मदउखेडी स्थित भूमि सर्वे नं. 290/2 रकवा 0.523 है0 का सीमांकन किये जाने हेतु अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र **नायब** तहसीलदार कुरवाई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 44/अ-12/2017-18 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।
2. यहकि, ग्राम पटवारी द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 23.03.2018 राजस्व निरीक्षक वृत1 कुरवाई की ओर प्रेषित कर बताया कि उनके द्वारा दिनांक 17.03.2018 को भूमि सर्वे क्रमांक 290/2 रकवा 0.530 है0 का सीमांकन मौका स्थल पर टी.एस.एम. मशीन द्वारा किया गया। जिसमें अनावेदक फूल सिंह आदि की भूमि पर आवेदकगण मुन्नीलाल पुत्र जयराम का पूर्व दिशा की ओर 0.020 है0 एवं धन्नालाल पुत्र जयराम का 0.026 है0 रकवे पर अवैध कब्जा

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** - निगरानी-3227/2018/विदिशा/भू.रा.

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5-12-18 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।<br>**प्रशासकीय सदस्य** | |